

अब बैंकिंग करना आसान.

अपना बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलें. न्यूनतम शेष रखने की कोई आवश्यकता नहीं. केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड या फ़ॉर्म सं.60 द्वारा आसानी से खाता खोलने की सुविधा पाएं.



केएल राहुल
भारतीय क्रिकेटर व
आरबीआई कर्मचारी

उमेश यादव
भारतीय क्रिकेटर व
आरबीआई कर्मचारी

- बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता कोई भी व्यक्ति खोल सकता है. इसमें आयु और आय का कोई संबंध नहीं होता है.
- बीएसबीडी खाता बिना किसी प्रारंभिक जमा राशि के खोला जा सकता है; इसमें न्यूनतम शेष रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है.
- ग्राहक के अनुरोध पर सामान्य बचत बैंक खाते को बीएसबीडी खाते में परिवर्तित किया जा सकता है.
- एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जैसी बुनियादी बैंकिंग सुविधा बीएसबीडी खाता धारक को बिना प्रभार के दी जाती है.
- बीएसबीडी खाते में जमा करने की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है.
- बीएसबीडी खाता धारक हर महीने अधिकतम चार बार बिना प्रभार के आहरण कर सकते हैं, जिसमें एटीएम से आहरण, आरटीजीएस/एनईएफटी/समाशोधन/इंटरनेट नामे/स्थायी अनुदेश/ईएमआई आदि द्वारा अंतरण का समावेश होता है.
- बीएसबीडी खाता धारक उसी बैंक में अन्य बचत बैंक खाता नहीं खोल सकते हैं.



**आरबीआई
कहता है!**

अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें या <https://faqs.rbi.org.in> पर जाएं या अपनी नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करें. इस विज्ञापन में छपी गई जानकारी के संबंध में फीडबैक देने के लिए हमें rbikehtahai@rbi.org.in पर लिखें.



जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in